

राजस्थान सरकार

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

जी 3/1, अम्बेडकर भवन, सिविल लाईन रेल्वे क्रॉसिंग के पास, जयपुर

क्रमांक : एफ 9(4) () छात्रवृत्ति/पोर्टल/सरलीकरण/2019-20/

55370-94

दिनांक :

26/11/2020

रजिस्ट्रार/डीन/निदेशक/प्रशासक,
राजकीय/निजी विश्वविद्यालय/बोर्ड/काउन्सिल,
समस्त.....।


विषय : उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत महाविद्यालयों के मान्यता/सम्बद्धता के संबंध में।

प्रसंग : विभागीय समसख्यक पत्रांक 9721 दिनांक 12.02.2020

उपरोक्त विषयान्तर्गत विभाग द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, विशेष पिछड़ा वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग, डॉ. अम्बेडकर आर्थिक पिछड़ा वर्ग, डॉ अम्बेडकर DNTs उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति एवं मुख्यमंत्री सर्वजन उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजनाओं का संचालन किया जा रहा है। उक्त योजनाओं के संचालन हेतु भारत सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देश के बिन्दु संख्या 3(2) के अनुसार विद्यार्थी को छात्रवृत्ति मान्यता प्राप्त संस्थाओं में पढ़ाये जाने वाले सभी मान्यता प्राप्त मैट्रिकोत्तर या माध्यमिकोत्तर पाठ्यक्रमों में अध्ययन के लिए दी जायेगी।

छात्रवृत्ति योजना के संचालन हेतु विभागीय छात्रवृत्ति पोर्टल पर महाविद्यालयों द्वारा शैक्षणिक सत्र 2018-19, 2019-20 एवं 2020-21 के मान्यता/सम्बद्धता के दस्तावेजों का परीक्षण करने पर यह अवगत हो रहा है कि बहुत से महाविद्यालयों को संबंधित विश्वविद्यालय/बोर्ड/काउन्सिल से मान्यता/सम्बद्धता प्राप्त नहीं हुई है। इन शिक्षण संस्थाओं द्वारा विभाग को अवगत कराया जा रहा है कि वर्तमान में विश्वविद्यालय/बोर्ड/काउन्सिल द्वारा मान्यता/सम्बद्धता का कार्य नहीं किया जा रहा है।

भारत सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देश के अनुसार बिना मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं में अध्ययनरत विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति देय नहीं है इसलिए आपके विश्वविद्यालय के अधीन संचालित शिक्षण संस्थाओं को नियमानुसार शीघ्र मान्यता/सम्बद्धता प्रदान किये जाने की कार्यवाही करने का श्रम करवें। यदि आपके विश्वविद्यालय/बोर्ड/काउन्सिल द्वारा शिक्षण संस्थाओं को प्रतिवर्ष मान्यता/सम्बद्धता नहीं दी जाती है तो कृपया अवगत करावें कि किस दस्तावेज के आधार पर संस्थान को संबंधित सत्र में मान्यता प्राप्त मानते हुए छात्रवृत्ति हेतु पात्र किया जा सके। **दिनांक 20.12.2020 तक** विश्वविद्यालय/बोर्ड/काउन्सिल द्वारा शिक्षण संस्थाओं को जारी मान्यता/सम्बद्धता के दस्तावेज अपलोड नहीं करने के अभाव में विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति का आवेदन पत्र स्वतः निरस्त कर दिया जावेगा। विद्यार्थी को छात्रवृत्ति का भुगतान नहीं होने से केन्द्र एवं राज्य प्रवर्तित योजनाओं के तहत प्राप्त छात्रवृत्ति राशि का समय पर उपयोग नहीं होने पर राशि व्ययपगत हो जायेगी, जिसके लिए संबंधित विश्वविद्यालय/बोर्ड/काउन्सिल जिम्मेदार होगा। इसके अतिरिक्त उक्त कारणवश: यदि विद्यार्थी के न्यायालय में वाद प्रस्तुत किये जाने पर किसी तरह की आर्थिक देयता का निर्धारण किया जाता है तो संबंधित विश्वविद्यालय/बोर्ड/काउन्सिल ही उत्तरदायी होगा।



निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

दिनांक :

क्रमांक : एफ 9(4) () छात्रवृत्ति/पोर्टल/सरलीकरण/2019-20/

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है:-

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, संबंधित प्रशासनिक विभाग,.....।
3. प्राचार्य, राजकीय/निजी, शिक्षण संस्थाएं.....।
4. सिस्टम एनालिस्ट (सं.नि.), मुख्यावास को विभागीय/छात्रवृत्ति वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

सहायक निदेशक (शिक्षा)